# न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

## स्वत्व वाद सं0–101/2020

उमेश चन्द्र श्रीवास्तव.....वादी

बनाम

अरविन्द कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| DATE | ORDER | REMARKS |
|---|---|---|
| **22.02.2024** | उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0–01, 02 एवं 04 की ओर दिये गये आवेदन दिनांक 25.01.2023 पर आदेश हेतु नियत है।<br>**आदेश (ORDER)**<br>प्रतिवादी सं0–01, 02 एवं 04 की ओर से अपने आवेदन दिनांक 25.01.2023 में कहा गया है कि प्रतिवादी सं0–01, 02 एवं 04 दिनांक 12.08.2023 को न्यायालय में उपस्थित हुए तथा वादग्रस्त भूमि से संबंधित कागजात की खोज में लग गये। प्रतिवादीगण के जवाब देखने से भी स्पष्ट होगा कि प्रस्तुत वाद में संलग्न भूमि से संबंधित कागजात काफी पुराने है तथा इनका पता लगाकर प्राप्त कर काफी कठिन साबित हुआ। अतः प्रतिवादीगण को दिनांक 03.12.2022 को जवाब दाखिल करने से वंचित कर दिया गया। प्रतिवादी सं0–01, 02 एवं 04 ने जानबुझकर लिखित कथन दाखिल करने में विलंब नहीं किया है बल्कि परिस्थितिवश विलंब हो गया है। प्रतिवादी सं0–01, 02 एवं 04 इस वाद में संघर्ष करना चाहता है। अगर श्रीमान् के आदेश दिनांक 03.12.2022 को वापस लेते हुये प्रतिवादी सं0–01, 02 एवं 04 का जवाब स्वीकार कर संघर्ष करने का मौका नही दिया गया तो प्रतिवादी सं0–01, 02 एवं 04 को अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रतिवादी सं0–01, 02 एवं 04 न्याय से वंचित हो जायेंगे। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि बयान तहरीरी दाखिल करने में हुये विलंब को माफ करते हुये आदेश दिनांक 03.12.2022 को वापस लेकर बयान तहरीरी को स्वीकृत करने की कृपा करें।<br>वादी की ओर से प्रतिवादी सं0–01, 02 एवं 04 के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 07.02.2024 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि प्रतिवादीगण का आवेदन खारिज योग्य है। प्रतिवादीगण को प्रस्तुत वाद से संबंधित सभी कागजातों की | |

**न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज**

**स्वत्व वाद सं0–101/2020**

उमेश चन्द्र श्रीवास्तव.....वादी

बनाम

अरविन्द कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 22.02.2024** | प्रारंभ से जानकारी थी। प्रतिवादीगण प्रक्रिया को लम्बा खीचने एवं वादी को नुकसान पहुचाने की नीयत से वाद में विलंब से उपस्थित हुये तथा जानबुझकर समय से अपना बयान तहरीरी दाखिल नही किये। अतः आवेदन खारिज किया जाय।<br>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–01, 02 एवं 04 दिनांक 12.08.2022 को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा दिनांक 03.12.2022 को प्रतिवादी सं0–01, 02 एवं 04 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया तथा प्रतिवादी सं0–01, 02 एवं 04 दिनांक 25.01.2023 को अपना बयान तहरीरी न्यायालय में दाखिल किये। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं0–01, 02 एवं 04 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी सं0–01, 02 एवं 04 नियत समय के बाद दिनांक 25.01.2023 को न्यायालय में अपना बयान तहरीरी दाखिल किये है तथा प्रस्तुत वाद में संघर्ष करना चाहते है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–01, 02 एवं 04 का आवेदन मो0–1500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं0–01, 02 एवं 04 की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है।<br>आगामी दिनांक 27.03.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत।<br>लेखापित<br>अवर न्यायाधीश<br>नरकटियागंज | |